हुक्म

125/2019

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/3/2020	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। साथ ही उभय पक्ष में से भी पक्षकार उपस्थित हुए। रेस्पो० सं० 2 गुदड़राम फौत हो चुके हैं इसलिए उनके कायम मु० की भी उपस्थिति है। उपस्थित पक्षकारों की शिनाख्त इनके अभिभाषकों ने की साथ ही फोटो के आधार कार्ड के आधार पर पहचान की जिनके नीचे हाशिये पर मय हस्ताक्षर अंकित है। अपील के तहत रास्ते के विवाद के संबंध में उभय पक्ष ने आपसी सहमति करके एक सहमति-पत्र (इकरारनामा) तैयार कर अंगीकार कर इसके अनुरूप रास्ता कायम किये जाने बाबत आदेश किये जाने का निवेदन किया। इस आपसी सहमति के इकरारनामे के मजमून को पढ़कर सुनाया जिसे उभय पक्ष के अभिभाषकों तथा उपस्थित पक्षकारों ने सही होना स्वीकार कर इस पर हस्ताक्षर किये जाने पर इसे तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। इस सहमति पत्र के साथ एक "नजरी नक्शा" भी पेश है जो इसका अहम भाग होकर इसके साथ है। इस पर भी रास्ते को इंगित किया हुआ है जिसे सहमति पर उभय पक्ष ने सही होना स्वीकार कर इसका राजस्व रिकॉर्ड में हूबहू अमल दरामद राज्य सरकार के पक्ष में गै०मु० रास्ते के रूप में अमल दरामद करने की रजामंदी की। ख० नं० 2547 गै०मु० बेरा रकबा 15 बिस्वा सामलाती भूमि है, मौके पर कोई बेरा वर्तमान में विद्यमान नहीं है क्योंकि इसे बहुत पहले पाट कर समतल भूमि में तब्दील कर दिया गया था। आज मौके पर काबिल काश्त समतल भूमि है इसलिए रास्ते के लिए इसका अमल दरामद गै०मु० भूमि के रूप में किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि अंततः यह राजकीय भूमि के रूप में मिल्कियत सरकार गै०मु० रास्ता दर्ज हो रहा है। धारा "251 क" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सर्वप्रथम यही प्रावधान रखा गया है कि खातेदारों के मध्य आम सहमति / पारस्परिक सहमति से तय हो अन्यथा संबंधित SDO को आवेदन किया जाय। उभय पक्ष में वांछित रास्ते बाबत परस्पर [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर P.T.O	अपीलान्ट की ओर से [signature] (गोपालराम चौधरी) (वकील अपीलांट) रेस्पोन्डेन्ट सं० 1 व 2 की ओर से अभिभाषक प्रकाश चौधरी एडवोकेट (वकील रेस्पोडेंट 1 व 2) [signature] Prakash (प्रकाश पुत्र प्रेमाराम) आधार नं. 8042 5240 6229 (जगदीश पुत्र गोकलराम) आधार नं. 2419 6922 7490 (प्रतापराम पुत्र गोपाराम) लाइसेंस नम्बर 36435 दिनांक 9-1-2001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म तामील में जारी हुए
	सहमति कायम हो चुकी है लिहाजा इनकी मंशा के अनुरूप रास्ते का अमल दरामद राज्य सरकार के पक्ष में करने के आदेश दिया जाना उचित है- अपील अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के मध्य हुई परस्पर सहमति (लिखित करार) मय नजरी नक्शा के अनुसार अंशतः स्वीकार की जाती है तथा उक्त आपसी सहमति के साथ संलग्न नजरी नक्शा में ख.नं. $\frac{2473}{1}$ व ख.नं. 2473 के बीच बिंदु ACDG; ख.नं. 2472 व ख.नं. 2472/2 व ख.नं. $\frac{2472}{1}$ के बीच बिंदु DGHJ; ख.नं. 2471 में बिंदु HIKM के मध्य इंगित क्रमशः 6+12, 12+6, 6+12 प्रत्येक भाग 18 फीट चौड़ा रास्ता राज्य सरकार के पक्ष में (मुताबिक नजरी नक्शा, जो इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा) अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिये जाते हैं। मौके पर प्रत्येक खसरे में आने वाले रास्ते के रकबे का आकलन कर तदनुसार तरमीम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। चूंकि रास्ता परस्पर सहमति से कायम किया गया है इसलिए इस हेतु किसी भी पक्षकार को कोई प्रतिकर राशि देय नहीं होगी। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	